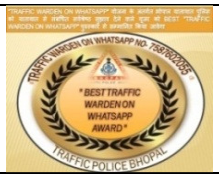

“बेहतर ट्रैफिक बेहतर भोपाल”

TRAFFIC POLICE, BHOPAL
सुरक्षा सहित सेवा

दिनांक–14.04.2017

–ःप्रेसनोटः–

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की जान बचाने एवं पीड़ित को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने वाले ‘‘गुड सेमेरिटन’’ को उत्पीड़न से बचाव एवं अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन किए जाने **हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये किये गये है :–**

- किसी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, तथा उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने हेतु अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा–विनिर्दिस्ट रूप में प्राधिकरणों द्वारा ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ को उचित ईनाम एवं मुआवजा दिया जाएगा।
- ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- कोई ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति के लिए पुलिस को सूचना देने अथवा आपातकालीन सेवाओं हेतु फोन कॉल करता है, उस फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम एवं व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ का नाम और संपर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत सूचना को बताया जाना स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक बनाया जाएगा। ऐसा अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए मैडिकों लीगल केस (एमएलसी) फार्म में भी किया जाएगा।
- उन ‘‘लोक अधिकारियों’’ के विरूद्ध संबंधित सरकार द्वारा अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाई की जाएगी जो किसी ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य करेंगे अथवा धमकाएंगे।
- यदि कोई ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया है कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है तथा पुलिस द्वारा अथवा मुकदमें के दौरान जांच–पड़ताल के प्रयोजनों के लिए उसका जांच किया जाना अपेक्षित है तो उस ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ से एक ही बार पूछताछ की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि किसी ‘‘बाईस्टैंडर’’ या ‘‘गुड सेमेरिटन’’ को उत्पीड़ित/धमकाया ना जाए।

- जांच की विधियां, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत किसी आयोग द्वारा, अथवा कथित संहिता की धारा 296 के अनुसार औपचारिक तौर से शपथ–पत्र के द्वारा हो सकती है तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जांएगी।
- ''बाईस्टैंडर'' या ''गुड सेमेरिटन'' को उत्पीड़न से बचाने अथवा असुविधा से दूर रखने के लिए ''बाईस्टैंडर'' या ''गुड सेमेरिटन'' एंव उपर्युक्त दिशा–निर्देश में संदर्भित व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, से पूछाताछ के दौरान विडियों कांफ्रेसिंग का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाएगा।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिशा–निर्देश जारी करेगी जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि कोई भी पंजीकृत सार्वजनिक और निजी अस्पताल ''बाईस्टैंडर'' या ''गुड सेमेरिटन'' को न रोके अथवा पंजीकरण और भर्ती लागतों के लिए भुगतान की मांग न करें जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा–संबंधी न हो तथा प0 परमानन्द कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1989) 4 एससीसी 286 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जाए।
- सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित किसी आपातकालीन परिस्थिति में जिस समय डॉक्टर से चिकित्सीय देखभाल प्रदान किये जाने की आशा की जाती है, किसी डाक्टर द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव को भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक) विनिमय, 2002 के अध्याय–7 व्यवसायिक कदाचार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा तथा उस डा0 के विरूद्ध कथित विनियमन के अध्याय–8 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- सभी अस्पताल इस आशय का अपने प्रवेश द्वार पर हिन्दी, अंग्रेजी और राज्य क्षेत्र की देशी भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेंगे कि वे ''बाईस्टैंडर'' या ''गुड सेमेरिटन'' को नहीं रोकेंगे अथवा **किसी पीड़ित के उपचार के लिए उनसे धन जमा कराने के लिए नहीं कहेंगे।**
- यदि कोई ''बाईस्टैंडर'' या ''गुड सेमेरिटन'' चाहे तो अस्पताल उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल में लाने तथा समय और स्थान के संबंध में उस गुड सेमेरिटन को एक पावती उपलब्ध कराएगा तथा ऐसी पावती को राज्य सरकार द्वारा एक मानक फार्मेट में तैयार किया जाएगा तथा उपयुक्त समझे जाने पर ''बाईस्टैंडर'' या ''गुड सेमेरिटन'' को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में इसे वितरित किया जाएगा।
- सभी सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों द्वारा इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन तत्काल किया जाएगा तथा इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किए जाने अथवा उल्लंघन किए जाने के मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस, भोपाल

Connect with us on : - **Facebook https://www.facebook.com/TrafficBhopal** **Twitter : @bpltraffic**	**Traffic warden on whatsapp** **mobil no.–7587602055**